आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020[1]

(1.4.2025 के अनुसार अद्यतित)

आधार (वित्तीय और अन्यद सहायिकियों लाभों और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम 2016 (2016 का 18 वां), की धारा 53 की उप-धारा (2) के खंड (कक) के साथ पठित धारा 53 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रवृत होना. —(1) ये नियम सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण , नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में संदर्भ के अनुसार जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, लाभों और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) है;

(ख) ''प्राधिकरण'' से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है;

(ग) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किये गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ अधिनियम या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) में उनके लिए निर्धारित किया गया अर्थ ही होगा।

3. आधार अधिप्रमाणन के प्रयोजन .—(1) केंद्र सरकार अनुरोधकर्ता निकायों [2][*] द्वारा आधार अधिप्रमाणन की अनुमति दे सकती है, अर्थात्:—

(क) सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग;

[3][(कक) निवासियों के जीवन की सहुलियत बढ़ाने और उनके लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच को समर्थ करने के लिए;]

(ख) समाज कल्याण लाभों के उपव्यय की रोकथाम; तथा

(ग) नवोद्भव को समर्थ बनाना और ज्ञान का प्रसार करना।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर होगा।

---

[1] भारत का राजपत्र , असाधारण, भाग III, खंड 4 , दिनांक 22.1.2020 में दिनांक 5.8.2020 अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.490(ई) द्वारा प्रकाशित किया गया और तत्पश्चात दिनांक 31.1.2025 (31.1.2025 से प्रभावी) अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.88 (ई) द्वारा संशोधित किया गया।

[2] अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.88(ई) दिनांक 31.1.2025 (31.1.2025 से प्रभावी) द्वारा ''सुशासन के हित में, सार्वजनिक निधियों के अपव्यय की रोकथाम, नागरिकों के जीवन की सहूलियत बढ़ाने और उनके लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच समर्थ करने के लिए'' शब्दों का लोप किया गया।

[3] अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.88(ई) दिनांक 31.1.2025 (31.1.2025 से प्रभावी) द्वारा अंतः स्थापित किया गया।

[4][**4. प्रस्ताव तैयार करना**.—(1) नियम 3 में विनिर्दिष्ट उद्देश्य से आधार अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार का कोई मंत्रालय अथवा विभाग , जैसा भी मामला हो , ऐसे उद्देश्य जिसके लिए आधार अधिप्रमाणन की मांग की जाती है, के संबंध में औचित्य के साथ एक प्रस्ताव तैयार करेगा और प्राधिकरण के संदर्भ हेतु उसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट मंत्रालय या विभाग के अलावा कोई भी संस्था, जो आधार अधिप्रमाणन सुविधा का उपयोग करने की इच्छुक है, नियम 3 में विनिर्दिष्ट उद्देश्य और राष्ट्र के हित में मांगे गए अधिप्रमाणन के संबंध में औचित्य के साथ एक प्रस्ताव तैयार करेगी और उसे उपयुक्त सरकार के संबंधित मंत्रालय या विभाग को प्रस्तुत करेगी।

(3) यदि उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट मंत्रालय या विभाग की यह राय है कि उनके समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्रयोजन को पूरा करता है और राष्ट्र के हित में है तो वह प्रस्ताव को अपनी सिफारिशों के साथ प्राधिकरण को संदर्भ देने के प्रयोजन से केंद्र सरकार को अग्रेषित करेगा।

स्पष्टीकरण.— इस नियम में , "समुचित सरकार का संबंधित मंत्रालय या विभाग" से समुचित सरकार का ऐसा मंत्रालय या विभाग अभिप्रेत है जहां संविधान के अनुच्छेद 77 या 166 , जैसा भी मामला हो , के अंतर्गत बनाए गए संव्यवहार नियमों के अधीन उस प्रयोजन से संबंधित कार्य संपादित किया जाता है।]

[5][**5. प्रस्ताव की जांच**.— नियम 4 के तहत प्रस्ताव प्राप्त होने पर , यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि प्रस्ताव नियम 3 में वर्णित प्रयोजनों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है , तो यह केंद्र सरकार को सूचित करेगा कि अनुरोधकर्ता निकाय को आधार अधिप्रमाणन की अनुमति दी जाए और इसके बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो, को केंद्र सरकार द्वारा इसे तदनुसार अधिसूचित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।]

[4] अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.88(ई) दिनांक 31.1.2025 (31.1.2025 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
[5] अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.88(ई) दिनांक 31.1.2025 (31.1.2025 से प्रभावी) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।